भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1592

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

कैदियों हेतु पुनर्वास कार्यक्रम

†1592. श्री जगदम्बिका पाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैदों में बंद कैदियों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे कार्यक्रमों से कोई सकारात्मक परिणाम देखने में आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों के विषय में कोई सर्वेक्षण करवाए हैं अथवा कैदियों से कोई फीडबैक एकत्र किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कैद में ओर उसके बाद कार्यक्रमों से कैदी अपनी कारावास अवधि में पर्याप्त मजदूरी अर्जित कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि संख्या-4 के अनुसार 'कारागार' राज्य का विषय है। इस प्रकार, कारागार के प्रशासन एवं प्रबंधन की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए एक नया आदर्श कारागार मैनुअल तैयार किया है जिसमें कैदियों की देखभाल एवं पुनर्वास का भी प्रावधान है और जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि कैदियों के पुनर्वास तथा उत्तरवर्ती देखभाल हेतु योजना बनाने एवं उपर्युक्त क्रिया-प्रणाली तैयार करने के लिए रिहा किए गए कैदियों की उत्तरवर्ती देखभाल एवं पुनर्वास समिति के रूप में जानी जाने वाली विशेष समितियों का गठन जिला अथवा राज्य स्तर पर किया जाने चाहिए।